रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 1986/भाद्र 10, 1908
No. 187] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 1, 1986/BHADRA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

संख्या 37/1(6)/86/टी.—राष्ट्रपति का दिनांक 30 अगस्त, 1986 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा लोक सभा का सत्रावसान करता हूं।

30 अगस्त, 1986 ज्ञैल सिंह,
राष्ट्रपति"

सुभाष काश्यप, महासचिव।

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 1st September, 1986

NOTIFICATION

No. 37|1|VI|86|T.—The following order by the President dated the 30th August, 1986, is published for general information :—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Lok Sabha.

August 30, 1986.

ZAIL SINGH,
President."

SUBHASH C. KASHYAP, Secy. Genl.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986